अध्याय-5 राज्यपाल का अभिभाषण और सभा को संदेश.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिये समय का नियतन.

13. अध्यक्ष संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अधीन सभा के सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिये सभा नेता के परामर्श से समय नियत करेगा.

चर्चा की व्याप्ति.

14. ऐसे दिन या दिनों में या किसी दिन के भाग में सभा किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा अन्य सदस्य द्वारा अनुमोदित कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा करने के लिये स्वतंत्र होगी.

संशोधन.

15. (1) ऐसे प्रस्ताव पर कोई भी सदस्य किसी संशोधन की सूचना ऐसे समय के पूर्व दे सकेगा जैसा अध्यक्ष नियत करें.

(2) ऐसे कृतज्ञता-ज्ञापन प्रस्ताव पर ऐसे रूप में संशोधन प्रस्तुत किये जा सकेंगे जिसे अध्यक्ष उचित समझे.

अन्य कार्य जो लिया जा सकेगा.

16. (1) इस बात के होते हुए भी कि कोई दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिये नियत किया जा चुका है :-

(क) ऐसे दिन विधेयक या विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव किये जा सकेंगे और विधेयक या विधेयकों को पुरःस्थापित किया जा सकेगा; या

(ख) ऐसे दिन अभिभाषण पर सभा द्वारा चर्चा प्रारंभ किये जाने या जारी रखे जाने से पूर्व केवल औपचारिक रूप का अन्य कार्य किया जा सकेगा; और

(ग) नियम 57 के अधीन स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने के प्रयोजन के लिये वाद-विवाद रोका जा सकेगा.

(2) यह प्रस्ताव किये जाने पर कि अभिभाषण पर चर्चा अध्यक्ष द्वारा नियत किये जाने वाले बाद के किसी दिन तक के लिये स्थगित की जाये, उस अभिभाषण पर चर्चा किसी शासकीय विधेयक या अन्य किसी शासकीय कार्य के पक्ष में विलम्बित की जा सकेगी, अध्यक्ष तुरन्त यह प्रश्न रखेगा और किसी संशोधन या वाद-विवाद की अनुमति नहीं होगी.

शासन का उत्तर देने का अधिकार.

17. शासन की ओर से मुख्य मंत्री या किसी अन्य मंत्री को, चाहे उसने चर्चा में पहले भाग लिया हो या नहीं, चर्चा के अन्त में शासन की स्थिति स्पष्ट करने का सामान्य अधिकार होगा.

वाद-विवाद का विनियमन.

18. प्रस्ताव पर चर्चा विनियमित करने के प्रयोजनों के लिये अध्यक्ष प्रस्ताव की सामान्य चर्चा के लिये और सूचना दिये गये संशोधनों में से प्रत्येक पर विचार करने के लिये समय नियत कर सकेगा और जब एक से अधिक संशोधन हों तब प्रत्येक संशोधन के लिए समय नियत कर सकेगा और वाद-विवाद में भाषणों के लिये समय नियत कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे.

संविधान के अनुच्छेद 175 (1) के अंतर्गत राज्यपाल का अभिभाषण.

19. संविधान के अनुच्छेद 175 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिये अध्यक्ष समय नियत कर सकेगा.

राज्यपाल से संदेश.

20. जब अध्यक्ष को सभा के लिये संविधान के अनुच्छेद 175 (2) के अधीन राज्यपाल से संदेश मिले तो वह सभा को संदेश पढ़कर सुनायेगा और संदेश में निर्दिष्ट विषयों पर विचार करने के लिये अनुकरणीय प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक निर्देश देगा. ऐसे निर्देश देने में अध्यक्ष को उस सीमा तक नियमों को निलंबित या परिवर्तित करने की शक्ति होगी जिस सीमा तक की आवश्यक हो.

सत्रावसान पर राज्यपाल का अभिभाषण.

20-क. जब राज्यपाल सभा का सत्रावसान करे तो वह यथास्थिति सभा के सामने अभिभाषण दे सकेगा.